

17.2.25

वकील डा. श्री उपस्थित पत्रावली से संबंधित वाद-पत्र  
का दिनांक 16.1.25 को निर्णय हो चुका है। वाद-पत्र के  
निर्णय हो जाने पर डा. श्री - पत्र 212 RTA जांच शुन्य हो गया  
है। अतः डा. श्री - पत्र 212 RTA का दिनांक 19.12.24 को जारी  
ना. 2511 एन एल एल खारिज की जाती है। पत्रावली संकेत से रुक  
होना शीघ्र ही स्पष्ट है।

आदेश से इजाजत हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

GUMS  
2024/792

